क्रम संख्या–02

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 01 जनवरी, 2004 ई0
पौष 11, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 479/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 01 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 28–12–2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 20, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 20, सन् 2003)

[भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में अधिनियमित]

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) अधिनियम, 2002 का उत्तरांचल में प्रवर्तन हेतु अग्रेत्तर संशोधन करने के लिएं

अधिनियम

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह 24 जून, 2003 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अधिनियम सं0 16, सन् 2002 की धारा 60(2) के अंश का विलोपन

2. मूल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (2) के निम्न अंशों का विलोपनः– ''या किसी चरस का आयात, निर्यात या परिवहन करता है, या उसको अपने कब्जे में रखता है''

आज्ञा से,

बी0 लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Excise Act, 1910) (Second Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 20 of 2003 for general information :

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 28--12--2003

No. 479/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, January 01, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH EXCISE ACT, 1910) (SECOND AMENDMENT) ACT, 2003

(UTTARANCHAL ACT NO. 20 OF 2003)

Enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India.

And to further amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Excise Act, 1910) (Amendment) Act, 2002 in its applicability to State of Uttaranchal

AN

ACT

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Excise Act, 1910) (Second Amendment) Act, 2003.

(2) It extends to the whole of Uttaranchal State.

(3) It shall be deemed to have come into force on the June 24, 2003.

Deletion of Certain part of sub-section(2) of section 60 of the Act No. 16 of 2002

2. Deletion of following part of sub-section(2) of Section 60 of the Principal Act :--

"or imports, exports, transports or possesses any charas"

By Order,

BHAROSI LAL,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 विधायी / 05--2004--500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।